

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या -24/2025 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2025/29

भंवरलाल पुत्र पन्ना जाति गुर्जर निवासी कूकड़ा खुर्द तहसील चेचट जिला
कोटा राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार चेचट जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट



अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार चेचट मि0नं0 326/2024 निर्णय
दिनांक 27.11.2024 उनवान सरकार बनाम भंवरलाल

उपस्थिति

1. श्री अंसार अहमद अभिभाषक अपीलान्ट
2. परोकार सरकार

निर्णय


दिनांक :- /7.03.2025

- 1 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चेचट ने ग्राम कूकड़ा खुर्द की चारागाह भूमि के खसरा नम्बर 281 की 0.40 हे0 में संवत 2081 में अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर फसल ज्वार बोने की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 326/2024 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखली एवं 30 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित के आदेश किया जाकर 100/-रूपये की शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 27.11.2024 से अपना निर्णय पारित किया है।
- 2 उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 28.01.2025 को पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्य को ही बहस मानते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया। परोकार सरकार को सुना गया।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित किया कि अपीलान्ट को ग्राम कूकड़ा खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 0.40 हे0 चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का तथा 100/- तावान वसूल करने का तथा 30 दिन की सिविल कारावास से दंडित करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रोपर सूचना दिये बिना अपनी जवाब देही करने का साक्ष्य पेश करने का तथा पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका प्रदान किये बिना ही निर्णय जेर अपील प्रदान किया है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं किया है ना ही पूर्व में उसे बेदखल ही किया गया है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है। आदेश जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रदान किया गया है, अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी 7.1.2025 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने तथा तहसील में पेश करने पर वहां पर जमानत करने पर जानकारी हुई, उक्त प्रकार जानकारी होने पर उसी दिन नकल का प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 9.1.2025 को नकल प्राप्त कर प्रथम जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की सजा का आदेश निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. परोकार सरकार ने अपनी बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है। अपील अस्वीकार योग्य है।
5. हमने उभयपक्ष की बहस बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2024 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 28.01.2025 को पेश की गई है। जो मियाद बाहर है। मियाद के शमन के लिए लिमिटेड एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी आदेश की प्रथम जानकारी पुलिस थाना चेचट द्वारा बताने पर होना बताया है, जिस पर दिनांक 13.1.2025 को नकल प्राप्त कर कर अपील पेश करना बताया है। प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाना उचित होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है।
6. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि सदीक पुत्र सुल्तान जाति मुसलमान निवासी बडोदिया कलां द्वारा संवत् 2081 में ग्राम गुमानपुरा की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 404 की रकबा 0.32 हे० पर अतिक्रमण कर फसल सोया बोया हुआ है। इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलान्त को अतिक्रमण की गई भूमि के बाबत नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई करते हुए उसे बेदखल करते हुए 100/- रुपये का जुर्माना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।
7. अपीलान्त ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
8. अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्त ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर दे तथा कब्जा हटाने की पुष्टि तहसीलदार चेचट स्वयं कर ले तो इस स्थिति में एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है एवं शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। अपीलान्त नियत अवधि में अण्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने में असफल रहता है तथा मौके पर से कब्जा नहीं हटाया जाता है तो तहसीलदार अतिक्रमी अपीलान्त को नियमानुसार सिविल कारावास की सजा भुगतायेगा।
9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा